

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 631]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2017—अग्रहायण 3, शक 1939

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. एफ. 01-01/2017/सत्रह/मेडि-1 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तदर्थ/आपात नियुक्तियों के नियमितिकरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

## नियम

1/- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तदर्थ/आपात नियुक्तियों का नियमितिकरण नियम-2017 है।
- (2) यह नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2/- अध्यारोही प्रभाव-यह नियम विषय में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरित बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

3/- परिभाषाए- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" -से अभिप्रेत है ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी।

(ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची।

4/- लागू होना:- यह नियम अनुसूची में वर्णित पदों पर वर्ष 1997 से पूर्व की गई तदर्थ/आपात नियुक्तियों के नियमितिकरण नियम के लिये लागू होंगे।

5/- नियमितिकरण के लिये पात्रता:- ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची में वर्णित पद पर तथा विभाग में तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त किया गया है नियमितिकरण के लिये पात्र होगा यदि-

उसके संबंध में 31 दिसंबर 1997 तक नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके थे, किन्तु जो अपेक्षित अर्हता न रखने के कारण या किसी अन्य कारण से नियमित नहीं किये जा सके थे।

6/- (1) वह "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) दिनांक 30 अप्रैल 1988 में प्रकाशित किये गए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1988 के अनुसार सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता अर्जित कर चुका हो।

(2) विभाग में तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त वही व्यक्ति नियमितिकरण हेतु पात्र होंगे जो 31 दिसंबर 1997 के पूर्व से नियुक्त होकर वर्तमान में निरंतर सेवा में हैं/सेवारत रहे हैं।

7/- चयन सूची:-

(1) अनुसूची में वर्णित पदों पर तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सकों के मामलों की छानबीन करने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार चयन सूची तैयार की जायेगी-

(2) मामलों की छानबीन करते समय संबंधित व्यक्ति की सामान्य उपयुक्तता का निर्धारण उनके गोपनीय रिकार्ड यदि कोई हो और उनके आचरण के आधार पर किया जायेगा।

(3) नियम 5 एवं 6 में वर्णित अर्हता अर्जित किये जाने के आधार पर चयन सूची के नाम सम्मिलित किये जायेगे।

8/- ज्येष्ठता:-

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया चिकित्सक तदर्थ नियुक्तियों का नियमितकरण नियम प्रभावशील होने के दिनांक 05 जून 1986 अथवा तदर्थ/आपात रूप से नियुक्ति उपरांत उपस्थिति की तिथि से ज्येष्ठता का हकदार होगा। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति को सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार पूर्व से नियुक्त किये गए व्यक्तियों को नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि विभिन्न आदेशों द्वारा नियुक्त दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथि को अपेक्षित अर्हता प्राप्त करते हैं तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण विखण्डित अवधि को छोड़कर उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर किया जावेगा।

(3) यदि एक ही आदेश द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथि से नियमित किये जाते हैं तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण तदर्थ/आपात नियुक्ति के आदेश में वर्णित क्रम में किया जावेगा।

9/- नियुक्तियों का क्रम:- नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची में से नियमित नियुक्तियों उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम छानबीन समिति द्वारा सूची में आये हो।

10/- आरक्षण:-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के उपबंधों का तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों/नियमों का इन नियमों के अधीन नियमितकरण करते समय पालन किया जायेगा।

11/- नियमितिकरण भर्ती नियमों के अधीन नियुक्ति मानी जायेगी:-छानबीन उपरांत तैयार की गई सूची को तथा ऐसी चयन सूची से किये गए नियमितिकरण को सुसंगत भर्ती नियमों के अधीन तैयार की गई चयन सूची तथा की गई नियुक्तियों माना जायेगा।

12/- छूट:- इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिस पर यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को न्यायसंगत तथा समस्यापूर्ण प्रतीत होती है।

13/- यह नियम तदर्थ एवं आपात रूप से नियुक्त चिकित्सकों को नियमितिकरण की कार्यवाही हेतु केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकेगा। उसके पश्चात यह नियम प्रभावहीन हो जाएंगे।

**अनुसूची**  
(नियम 4 देखिए)

वह पद जिन पर तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त व्यक्तियों को नियमित किया जा सकेगा :-

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, सचिव.